न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–150/2014–15

श्री जमील अहमद

–बनाम–

श्री मौ0 उस्मान आदि

उपस्थितः श्री विजय कुमार ढौंडियाल, सदस्य(न्यायिक)।

बावत

मौजा रायपुर, परगना भगवानपुर,
तहसील भगवानपुर, जनपद हरिद्वार।

आदेश

यह निगरानी तहसीलदार, भगवानपुर द्वारा वाद संख्या–2202/2014 अन्तर्गत धारा–34/35 भू–राजस्व अधिनियम मौ0 उस्मान आदि बनाम इमरान आदि में पारित आदेश दिनांक 28–09–2015 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 मौ0 उस्मान द्वारा तहसीलदार, भगवानपुर के न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा–34/35 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया। इस वाद में निगरानीकर्ता जमील अहमद ने दिनांक 28–09–2015 को तहसीलदार, भगवानपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली प्रार्थी आपत्तिकर्ता के साक्ष्य से पूर्व वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया जिसे तहसीलदार, भगवानपुर ने अपने आदेश दिनांक 28–09–2015 से निरस्त कर दिया। तहसीलदार, भगवानपुर द्वारा प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 28–09–2015 के विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है।

इस निगरानी में अग्रिम सुनवाई हेतु 21–12–2015 की तिथि नियत थी परन्तु प्रतिउत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0पी0 त्यागी दिनांक 30–11–2015 को न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा वाद में उपस्थित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किए जाने एवं तहसीलदार, भगवानपुर के न्यायालय में विचाराधीन वाद को समय सीमा तय कर शीघ्रता से गुणदोष के आधार पर निस्तारण किये जाने का मौखिक निवेदन किया गया। प्रतिउत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर निगरानीकर्ता की उपस्थित हेतु दिनांक 02–12–2015 की तिथि नियत की गई जिसकी सूचना न्यायालय द्वारा प्रतिउत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये दूरभाष/मोबाईल पर प्रेषित की गई, परन्तु निगरानीकर्ता दिनांक 02–12–2015 को उपस्थित नहीं हुए।

चूँकि प्रतिउत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता को निगरानी स्वीकार किए जाने में आपत्ति नहीं है, और निगरानी को अनावश्यक लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है, अतः तद्नुसार निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, भगवानपुर द्वारा निगरानीकर्ता जमील अहमद के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 28–09–2015 निरस्त किया जाता है तथा उन्हें प्रकरण इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में प्रार्थी

आपत्तिकर्ता के साक्ष्य से पूर्व वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आदेश पारित कर उभयपक्षों को समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर डेढ़ माह अन्तर्गत करते हुए अनुपालन आख्या से इस न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

दिनांकः ०२ दिसम्बर, 2015

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।